प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 31.10.2025

- **"मिशन शक्ति 5.0 अभियान" के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कार्यवाही।**
- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में **"मिशन शक्ति 5.0 अभियान"** के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 05.10.2025 को मु0अ0सं0 338/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बी0एन0एस0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात पर पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) BNS व 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा दिनाँक- 30.10.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त राहुल पुत्र नेकसे निवासी ग्राम छौक थाना कालपी जनपद जालौन को चाँदापुर मोड़ के पास कानपुर झांसी हाइवे थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. राहुल पुत्र नेकसे निवासी उम्र करीब 22 वर्ष ग्राम छौक थाना कालपी जनपद जालौन।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 338/2025 धारा 65(1)/137(2)/87/61(2) BNS व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस